संख्या-1/3/98-का-प्रसको/2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठः लखनऊः दिनांक : 19 मई, 2007

विषयः- सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि अपरिहार्य कारणों से शासन द्वारा समस्त श्रेणी के सरकारी सेवकों के, राज्य सरकार के व्यय पर आयोजित किये जाने वाले विदेश भ्रमण / प्रशिक्षण / गोष्ठी / सेमीनार आदि पर आगामी 03 माह के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है । अतः अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर, अन्य विदेश प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रमों के प्रस्ताव कार्मिक विभाग अथवा उच्चादेश हेतु प्रस्तुत न किये जांय ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

जे.एस.दीपक
सचिव

संख्या-1/3/98(1)-का-प्रसको/2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव ।

संख्या-1/3/98-का-प्रसको/2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठः लखनऊः दिनांक : 19 मई, 2007

विषयः- सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि अपरिहार्य कारणों से शासन द्वारा समस्त श्रेणी के सरकारी सेवकों के, राज्य सरकार के व्यय पर आयोजित किये जाने वाले विदेश भ्रमण / प्रशिक्षण / गोष्ठी / सेमीनार आदि पर आगामी 03 माह के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है । अतः अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर, अन्य विदेश प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रमों के प्रस्ताव कार्मिक विभाग अथवा उच्चादेश हेतु प्रस्तुत न किये जांय ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

जे.एस.दीपक
सचिव

संख्या-1/3/98(1)-का-प्रसको/2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव ।